

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2020—वैशाख 4, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12-12-2019 द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी, भा.प्र.से. (2004) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, विमानन विभाग, संचालक, विमानन, संचालक, कृषि तथा आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए संचालक, कृषि के अतिरिक्त प्रभार के स्थान पर आयुक्त, कृषि का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करता है.

शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-01/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-03-2018 द्वारा गठित जनजातीय कलस्टर धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम लक्ष्मीनगर को शामिल करते हुए पुनर्गठित जनजातीय कलस्टर धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

जनजातीय कलस्टर धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— लक्ष्मीनगर.

अनुसूची-दो

जनजातीय कलस्टर धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खम्हार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खम्हार, नकना, मिरीगुड़ा एवं अमलीटीकरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम अमलीटीकरा, लक्ष्मीनगर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीपुर, मिरीगुड़ा, नकना, खम्हार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-26/2019/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक 2885/3202/बत्तीस/78 दिनांक 20-07-1978 द्वारा गठित पथलगांव निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम मदनपुर इंजको, गोढीकला, पतरापाली एवं पाकरगांव को शामिल करते हुए पुनर्गठित पथलगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

पथलगांव निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— मदनपुर इंजको, गोढीकला, पतरापाली एवं पाकरगांव.

अनुसूची-दो

पथलगांव निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम जोराडोल, मदनपुर इंजको, बंधियाखार, गोढीकला, कुम्हेकेला, पतरापाली एवं पाकरगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम पाकरगांव, कुम्हेकेला, पालीडीह एवं डुडूंगजोर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम डुडूंगजोर, पथलगांव एवं तिलडेगा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम तिलडेगा एवं जोराडोल ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-2/2020/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक 2401/277/बत्तीस दिनांक 28-5-1979 द्वारा गठित बिल्हा निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम झलका को शामिल करते हुए पुनर्गठित बिल्हा निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

बिल्हा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— झलका.

अनुसूची-दो

बिल्हा निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम मोहनभट्टा, झलका, केसला एवं हिरी निपनिया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम हिरी निपनिया की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हिरी निपनिया केसला, बिल्हा, पत्थरखान एवं उमरिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम उमरिया, बिल्हा एवं मोहनभट्टा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 मार्च 2020

क्रमांक एफ 7-14/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-05-2014 द्वारा गठित वाड्डफनगर निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम लमोरी को शामिल करते हुए पुनर्गठित वाड्डफनगर निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

वाड्डफनगर निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— लमोरी.

अनुसूची-दो

वाड्डफनगर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम पशुपतिपुर, मिथिलापुर, रूपपुर, बंसतपुर एवं लमोरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम लमोरी, बसुलापाठ, प्रेमनगर, वाड्डफनगर एवं रजखेता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम रजखेता, कोटराही, पेंडारी एवं इकनारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम इकनारा, मदनपुर, पेंडारी एवं पशुपतिपुर पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 17 फरवरी 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/184/भू-अर्जन/2019-20.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दन्तेवाड़ा	बड़ेबचेली	ग्राम-उदेला पंचायत-मोलसनार	22.41 हेक्टेयर	सिंचाई जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 19-02-2020 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-नकुलनार में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	उदेला जलाशय निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	19 भूमि स्वामी
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	470.91 (लाख में)
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	सिंचाई
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 17 फरवरी 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/188/भू-अर्जन/2019-20.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दन्तेवाड़ा	कुआकोण्डा	ग्राम-नकुलनार पंचायत-नकुलनार	5.22 हेक्टेयर	सिंचाई जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 19-02-2020 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-नकुलनार में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	उदेला जलाशय निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23 भूमि स्वामी
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	118.58 (लाख में)
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	सिंचाई
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 3 फरवरी 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2017-18.—उपर्युक्त भू-अर्जन (पूरक) प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धरमजयगढ़ द्वारा ग्राम बरौद, प.ह.नं. 04 रा.नि.मं. एवं तहसील घरघोड़ा की निजी भूमि ख.नं. 342 रकबा 0.081 हे. एवं खसरा नंबर 343 रकबा 0.162 हे. एवं खसरा नंबर 345 रकबा 0.040 हे. को बरौद एनीकट हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन पूरक प्रकरण में अधिसूचना की धारा 11 का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छ.ग. राजपत्र में दिनांक 05-10-2018 को कराया गया है।

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धरमजयगढ़ के पत्र दिनांक 07-01-2019 के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 93 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है।

प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण

1.	ग्राम का नाम	—	बरौद
2.	प.ह.नं.	—	04
3.	रा.नि.मं. एवं तहसील का नाम	—	घरघोड़ा
4.	भूमि का विवरण	—	ख.नं. 342 से 0.081 हे. ख.नं. 343 से 0.162 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का नक्शा मय अन्य व्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़
द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटलनगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 फरवरी 2020

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/स्था./2020/47.—Certified that we have in the forenoon/afternoon of this day respectively made over and received the charge of the office of Director of Panchayat in pursuance of Government of Chhattisgarh, General Administration Department order No. E 1-02/2020/One-2, Nawa Raipur, Dt. 20/01/2020 and that officer receiving charge traveled during joining time on 03-02-2020 F.N. (mention dates)

आर. के. झा,
संयुक्त संचालक.

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2020

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/279/स्थापना/रा.मं./2020.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 31-1-2020 respectively made over and received charge of the office of the Member, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur vide GAD's order No. E 1-02/2020/एक-2 Raipur dated 20-01-2020 and that the officer receiving charge travelled during joining time on AM/PM (Mention dates).

हस्ता./-
सदस्य.

सचिवालय, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA)

प्रथम तल, एकीकृत शिक्षा भवन, पेंशनबाड़ा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक/566/रा.सा.मि.प्रा./स्थापना/प्रभार/19-20.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. ई 1-02/2020/एक-2, नवा रायपुर, दिनांक 20-01-2020 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मुझे संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अतः उक्त निर्देश के तारतम्य में मेरे द्वारा संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का कार्यभार दिनांक 03-02-2020 को ग्रहण कर लिया गया है।

जितेन्द्र कुमार शुक्ला,
संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/7213.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/2389 दिनांक 30-06-2018 द्वारा श्री ए. के. बंजारा, उपसंचालक कृषि राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला राजनांदगांव का पत्र क्रमांक/मंडी/2019-20/863 राजनांदगांव दिनांक 28-01-2020 द्वारा श्री ए. के. बंजारा, उपसंचालक कृषि का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री मुकेश रावटे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री ए. के. बंजारा, उपसंचालक कृषि राजनांदगांव के स्थान पर श्री मुकेश रावटे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 6 मार्च 2020

क्रमांक 271/नगानि./कवर्धा/स्ट्रक्चरप्लान कुण्डा/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में कुण्डा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक-1536/कुण्डा नि.क्षे./न.ग्रा.नि./2019 कवर्धा, दिनांक 07-11-2019 छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 जनवरी 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अतः एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कवर्धा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुण्डा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रही है। जो इस बात की निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

कुण्डा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में :** ग्राम बोडतराखुर्द, छीतापारकला, खरहट्टा, बनियाकुबा एवं महली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक।
पूर्व में : ग्राम महली, सुरजपुरकला, रेंगाबोड, गुन्हेटा, खम्हरिया, सेन्हाभाटा, ओडाडबरी एवं लोखान ग्रामों की पूर्वी सीमा तक।
दक्षिण में : ग्राम लोखान, कुण्डा, माकरी, दुल्लीपार, रेहुटाकला, सुरजपुराखुर्द, बसनी, घोरपेंडरी एवं पीपरमाटी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक।
पश्चिम में : ग्राम पीपरमाटी, खैरवारकला, नवागांवगजरी एवं बोडतराखुर्द ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगा।

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.).

No. 271/TNCP/Kawardha Kunda SP/2020.—The existing land use map and register for the Kunda Planning Area was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), vide notice No. 1536 Kawardha, date 07-11-2019 in Chhattisgarh Rajpatra published on dated 10 January 2020.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of Kunda Planning Area prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town and Country Planning, under the provision of sub-section (3) of the Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in “Chhattisgarh Gazette” under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of the Kunda Planning Area

- NORTH :** Village Bodtarakhurd, Chhitaparkalan, Kharhata, Baniyakuwa upto the Northern limit of Mahli.
EAST : Village Mahli, Surajpurkalan, Rengabode, Gunjheta, Khamhariya, Senhabhata, Odadabri upto the Eastern limit of Lokhan.
SOUTH : Village Lokhan, Kunda, Makri, Dullipar, Rehutakalan, Surajpurakhurd, Basni, Ghorpendri upto the Southern limit of Piparmati.
WEST : Village Piparmati, Khaerwarkalan, Nawagaongajri upto the Western limit of Bodtarakhurd.

The said adopted maps and register shall be available for inspection to general public at following place during office hours, except holidays for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :

1. Office of the Assistant Director Town and Country Planning, Kawardha District-Kabirdham (C.G.).

नवीन कुमार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 22 फरवरी 2020

क्रमांक 205/ELU/नगानि/2020.—एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि गिरौदपुरी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति ग्राम पंचायत भवन गिरौदपुरी/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय (रा.), कसडोल एवं सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.) के कार्यालयों में दिनांक 13-03-2020 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. गिरौदपुरी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

गिरौदपुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में :** ग्राम मड़वा, अमोदी एवं डेराडीह की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम डेराडीह, मड़वा, गिरौद एवं दर्रा की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम दर्रा एवं महाराजी की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम महाराजी, कौवाताल एवं मड़वा की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : ग्राम पंचायत भवन गिरौदपुरी, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.).

No. 205/ELU/T.&C.P./2020.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Giroudpuri planning area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from 13-03-2020 during office hour in the office of Gram Panchayat Bhawan Giroudpuri/Exhibition venue, office of sub Divisional Officer (Revenue), Kasdol, & Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar (C.G.). The limit of the Giroudpuri Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

The Limits of Planning Area of Giroudpuri

- NORTH :** Village Madwa, Amodi and upto the Northern limit of village Deradih.
WEST : Village Deradih, Madwa, Giraud and upto the Western limit of village Darra.
SOUTH : Village Darra and upto the Southern limit of village Mahraji.
EAST : Village Mahraji, Kauwatal and upto the Eastern limit of village Madwa.

If there be any objection of suggestion with the existing land use map, so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Balodabazar (C.G.) or Inspection site writing a period of 30 days from the that date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any Objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar (C.G.).

Inspection Site :

Gram Panchayat Bhawan, Giroudpuri, Teh. Kasdol, Disstt. Balodabazar-Bhatapara (C.G.)

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 19 फरवरी 2020

क्रमांक 358/न.ग्रा.नि./धमतरी/2020.—एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि धमतरी निवेश क्षेत्र के लिए ग्राम देमार, खपरी, तेलीनसती एवं उसलापुर भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी 01 प्रति कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.) एवं ग्राम पंचायत भवन देमार के कार्यालयों में दिनांक 19-02-2020 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में सचूना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.) द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 358/T&CP/Dhamtari/2020.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register of villages Demar, Khapri, Telinsati, Uslapur for the Dhamtari planning area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from 19-02-2020 in the office of collector Dist.-Dhamtari, Assistant Director Town and Country Planning Dhamtari and Gram Panchayat Bhavan Demar during office hours on working days.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Dhamtari or at the Exhibition place at Nagri within a period of thirty days from the date of publication of the notice in “Chhattisgarh Gazette.”

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Assistant Director, Town and Country Planning Dhamtari (C.G.).

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

डी. के. एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2020

क्रमांक-65/स्था/2019/680.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2, दिनांक 20-01-2020 के परिप्रेक्ष्य में द्वारा श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से. (2009), को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 14-02-2020 को पूर्वान्ह में भारमुक्त किया जाता है।

रीना बाबासाहेब कंगाले,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

कृषि विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2019-20/10907.—मैं टामन सिंह सोनवानी, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर कबीरधाम द्वारा प्रस्तावित गन्ना क्षेत्र को, निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2019-20 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :-

क्र. (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	विकासखण्ड (3)	ग्रामों की संख्या (4)	गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में (6)
1.	कारखाना द्वारा	कवर्धा	156	3,936.465
		बोड़ला	89	3,372.085
		सहसपुर लोहारा	21	53.797
योग			266	7,362.347

टामन सिंह सोनवानी,
गन्ना आयुक्त.

**पेराई सत्र 2019-20 हेतु भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.
कवर्धा के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध अंशधारी सदस्यों का
गन्ना क्षेत्र का विवरण**

विकासखण्ड - कवर्धा

क्र.	ग्राम	कृषक संख्या	रकबा (एकड़ में)	रकबा (हेक्.में)
1.	बिजाझोरी	37	71.85	29.089
2.	बरबसपुर	126	150.54	60.947
3.	सिंघनपुरी	52	65.01	26.319
4.	गांगचुवा	32	35.61	14.417
5.	जोराताल	38	50.92	20.615
6.	घुक्सा	57	78.58	31.813
7.	पालीगुड़ा	80	100.25	40.587
8.	परसवारा	53	63.37	25.655
9.	दुल्लापुर रानी	21	17.80	7.206
10.	मगरदा	16	7.16	2.898
11.	भीमपुरी	9	4.22	1.708
12.	सोनपुरी रानी	57	30.03	12.157
13.	थुहाडीह	13	11.71	4.740
14.	खैरझिटीखुर्द	13	16.25	6.578
16.	खैरझिटीकला	29	32.99	13.356
17.	मरका	41	72.99	29.550
18.	देवरी	7	9.19	3.720
19.	डौकाबांधा	52	51.73	20.943
20.	गेगड़ा	19	30.96	12.534
21.	जैतपुरी	13	13.92	5.635
22.	धौराबंद	29	41.32	15.886
23.	मथानीकला	24	34.03	13.777
24.	मथानीखुर्द	8	4.97	2.012
25.	अमलीडीह (मरका)	14	25.33	10.255
26.	दुनुपार	5	2.74	1.109
27.	बिपतरा	14	14.47	5.473

28.	कुंआ	1	1.87	0.757
29.	बानो (कुंआ)	12	24.30	9.838
30.	धनौरा	14	10.85	4.392
31.	कोठार	82	111.26	45.044
32.	चरडोंगरी	111	126.07	51.040
33.	खाम्ही	63	90.85	36.781
34.	गांगपुर	103	132.58	53.676
35.	छांटा	66	125.25	50.708
36.	दरगांवा	34	69.00	27.935
37.	गोरखपुर	18	23.50	9.514
38.	पिपरिया	36	37.31	15.105
39.	मोहगांव	79	149.75	60.627
40.	घुघरीकला	22	27.09	10.967
41.	घुघरीखुर्द	7	5.50	2.226
42.	झिरना	23	29.70	12.024
43.	सिंघनपुरी (राम्हेपुर)	88	149.25	60.425
44.	राम्हेपुरखुर्द	150	248.25	100.506
45.	रबेली	160	264.02	106.890
46.	सूरजपुरा	101	148.71	60.206
47.	जेवड़नखुर्द	75	151.73	61.429
48.	सोनबरसा	32	56.69	22.951
49.	चारभाठा	20	42.47	17.194
50.	दुल्लापुर (रबेली)	37	61.17	24.765
51.	बांझीमौहा	23	43.41	17.574
52.	बटुराकछार	125	194.33	78.676
53.	डबराभाठ	60	80.42	32.558
54.	मदनपुर	62	87.12	35.271
55.	सारंगपुरखुर्द	55	82.88	33.554
56.	जमुनिया	58	91.56	37.068
57.	बिजई	54	54.96	22.251
58.	नवागांव फरीद	4	7.28	2.947
59.	बारदी	94	144.45	58.481
60.	बरदुली	54	74.70	30.242
61.	बैजलपुर	64	80.74	32.688
62.	भेलवाभांवर	36	44.64	18.072
63.	गदहाभाठा	76	111.31	45.064
64.	सिंघनपुरी (सेमो)	39	61.80	25.020

65.	सेमो	40	44.92	18.186
66.	मक्के	35	54.27	21.971
67.	मानपुर	5	7.74	3.133
68.	आंछी	73	94.64	38.315
69.	पथर्रा	37	53.79	21.777
70.	बानो	46	55.07	22.295
71.	जोगीपुर	16	31.55	12.773
72.	खैरवार	26	41.98	16.995
73.	दलपुरूवा	58	93.29	37.769
74.	कोको	43	79.15	32.044
75.	लोचन	12	22.58	9.141
76.	भानपुर	5	17.64	7.141
77.	पण्डरिया (लघान)	41	47.51	19.234
78.	लघान	35	38.52	15.595
79.	घोरेवारा	27	29.56	11.967
80.	घिरघोसा	40	50.66	20.510
81.	झलमला	63	90.00	36.437
82.	गोपालभावना	40	43.38	17.562
83.	डेहरी	71	101.47	41.080
84.	नवागांव कोलिहा	17	16.44	6.655
85.	नवघटा	60	134.47	54.441
86.	नेवारी	40	80.80	32.712
87.	रेंगाखारखुर्द	13	13.42	5.433
88.	बरपेलाटोला	11	22.00	8.906
89.	घोटिया	5	1.34	0.542
90.	झल्का	10	9.96	4.032
91.	छिरहा	19	14.19	5.744
92.	समनापुर	3	3.65	1.477
93.	अमलीडीह (कोड़ार)	3	1.00	0.404
94.	तालपुर	5	11.05	4.473
95.	कवर्धा	37	53.16	21.522
96.	बिशनपुरा (दशरंगपुर)	1	1.50	0.607
97.	जुनवानी	9	27.05	10.951
98.	नवागांव तिवारी	15	13.69	5.542
99.	लिमो	17	14.64	5.927
100.	भेदली	22	31.60	12.793
101.	मुडघुसरी	3	4.25	1.720

102.	मैनपुरी	10	3.83	1.550
103.	छांटा झा	12	12.17	4.927
104.	रघुनाथपुर	4	5.11	2.068
105.	धमकी	30	38.06	15.408
106.	बम्हनी	7	7.12	2.882
107.	बंदौरा	2	2.98	1.206
108.	ठकुराईनटोला	8	19.58	7.927
109.	कुटकीपारा	23	14.53	5.882
110.	मड़मड़ा	04	6.68	2.704
111.	सोहागपुर	5	6.95	2.813
112.	बदराडीह	2	2.50	1.012
113.	दशरंगपुरखुर्द	40	139.10	56.315
114.	बोधाईकुण्डा	100	219.54	88.882
115.	खैरीपार	50	95.19	38.538
116.	नाऊडीह	78	239.90	97.125
117.	दौजरी	157	323.05	130.789
118.	जरती	144	421.74	170.744
119.	सिंघनपुरी (जरती)	24	45.85	18.562
120.	लखनपुरकला	260	418.83	169.566
121.	लालपुरकला	100	197.07	79.785
122.	कान्हाभैरा	100	192.37	77.882
123.	नेवारीगुड़ा	69	98.58	39.910
124.	दुल्लापुर (रबेली)	37	61.17	24.765
125.	बिरकोना	100	120.54	48.801
126.	धरमपुरा	90	90.70	36.720
127.	इंदौरी	70	53.49	21.655
128.	मिरमिट्टी	8	5.36	2.170
129.	जिन्दा	29	18.34	7.425
130.	दुबहा	15	9.80	3.967
131.	मानिकचौरी	26	15.13	6.125
132.	कोसमन्दा	32	12.92	5.230
133.	झिरौनी	40	38.18	15.457
134.	खडौदाखुर्द	173	261.86	106.016
135.	चोरभट्टी	22	15.08	6.105
136.	खपरी	34	30.87	12.497
137.	चचेड़ी	28	26.51	10.073
138.	फांदातोड़	18	17.28	6.995
139.	केसली	25	27.87	11.283
140.	बिटकुलीकला	15	11.80	4.777
141.	बिटकुलीखुर्द	6	6.71	2.716
142.	बहरमुड़ा	5	2.88	1.165

143.	गुढ़ा	4	4.37	1.769
144.	सुखाताल	300	543.45	220.020
145.	कोदवा	34	53.36	21.603
146.	नवागांव (तमुरुवा)	2	1.00	0.404
147.	कोडार	2	3.56	1.441
148.	चुचरुंगपुर	3	1.00	0.404
149.	पनेका	5	3.90	1.578
150.	बाघुटोला	3	1.34	0.542
151.	गुढ़ा	4	4.37	1.769
152.	बिरुटोला	1	1.55	0.627
153.	कुटेली	2	0.50	0.202
154.	सिंघपुरी गांगचुवा	1	1.00	0.404
155.	सोनपुरी गुढ़ा	1	1.30	0.526
156.	दुल्लापुर (पिपरिया)	22	28.51	11.542
योग		6386	9723.07	3936.465

विकासखण्ड - बोड़ला

क.	ग्राम	कुषक संख्या	रकबा (एकड़ में)	रकबा (हेक्टर में)
1.	खड़ौदाकला	152	253.93	102.805
2.	सारंगपुरकला	195	405.20	164.048
3.	कारेसरा	95	192.31	77.858
4.	लोहझरी	83	193.21	78.222
5.	खन्तीपारा	21	38.72	15.676
6.	लखनपुरखुर्द	34	78.23	31.672
7.	मुड़ियापारा	15	15.08	6.105
8.	मारियाटोला	115	270.67	109.582
9.	लैंजाखार	145	200.50	81.174
10.	नेऊरगांवखुर्द	220	281.15	113.825
11.	प्रभाटोला	72	125.98	51.004
12.	रहंगी	57	106.07	42.943
13.	बुधवारा	30	38.82	15.716
14.	बघर्वा	110	202.28	81.894
15.	उसलापुर	108	208.31	84.336
16.	पोड़ी	104	125.55	50.829
17.	पोड़ीटोला	19	38.84	15.724
18.	तरेगांवमैदान	100	130.84	52.971
19.	मण्डलाटोला	100	131.26	53.141
20.	कुर्सीपार	50	79.09	32.020
21.	लालपुरखुर्द (बोड़ला)	20	22.92	9.279
22.	बोड़ला	60	61.61	24.943
23.	खैरबना	17	14.36	5.813
24.	सुकवापारा	28	31.39	12.708
25.	बोल्दाखुर्द	14	14.65	5.931
26.	बोल्दाकला	19	23.24	9.408
27.	भोंदा	8	8.45	3.421
28.	खरिया	4	1.00	0.404
29.	खड़ौदाखुर्द	3	1.50	0.607
30.	सिंघारी	16	10.45	4.230
31.	बैजलपुर	6	6.33	2.562
32.	बोरिया	21	7.53	3.048
33.	कामाडबरी	3	4.20	1.700
34.	कांपा	2	3.19	1.291

35.	कांदापारा	3	4.00	1.619
36.	राली	1	2.00	0.809
37.	अंधरीकछार	4	1.00	0.404
38.	भीरा	3	4.73	1.914
39.	भण्डार	3	2.00	0.809
40.	जैताटोला	10	11.86	4.801
41.	सिल्हाटी	140	252.53	102.238
42.	मानिकपुर	200	292.17	118.287
43.	नेऊरगांवकला	67	107.20	43.400
44.	रिवापार	42	54.73	22.157
45.	बैहरसरी	318	609.15	246.619
46.	कुसुमघटा	357	616.98	249.789
47.	खुरमुण्डा	25	40.47	16.384
48.	बोईरकछरा	72	125.05	50.627
49.	कबराटोला	110	144.77	58.611
50.	भलपहरी	39	55.47	22.457
51.	अचानकपुर	27	34.93	14.141
52.	मड़मड़ा	134	152.03	61.550
53.	सिरमी	42	36.03	14.587
54.	छांटा	93	108.14	43.781
55.	महली	58	88.31	35.753
56.	खण्डसरा	144	170.56	69.052
57.	राम्हेपुरकला	136	195.02	78.955
58.	हरिनछपरा	140	251.24	101.716
59.	चण्डालपुर	56	89.86	36.380
60.	परसहा	38	70.07	28.360
61.	खरहट्टा	130	196.42	79.522
62.	भरेली	184	289.12	117.052
63.	गण्डईकला	173	238.65	96.619
64.	गण्डईखुर्द	177	263.18	106.550
65.	बददो	47	68.07	27.558
66.	बिसनपुरा	27	25.18	10.194
67.	मोतिमपुर	37	33.71	13.647
68.	मिनमिनिया	44	64.29	26.028
69.	रघुपारा	40	32.86	13.303
70.	राजानवागांव	21	20.20	8.178
71.	खिरसाली	12	1.84	0.744

72.	लाटा	6	4.00	1.619
73.	बरहट्टी	4	3.98	1.611
74.	अमरौड़ी	4	17.71	7.170
75.	चिखली	2	4.17	1.688
76.	हरमो	1	0.51	0.206
77.	चाहटा	2	2.50	1.012
78.	घोंघा	11	15.75	6.376
79.	तिलईभाट	41	80.59	32.627
80.	भालूचुवा	27	52.94	21.433
81.	पुतकी	3	4.45	1.801
82.	काशीपानी	3	3.00	1.24
83.	रानीदहरा	2	1.00	0.404
84.	सरई	1	0.50	0.202
85.	लालपुर (बोड़ला)	20	22.92	9.279
86.	अमलीटोला	13	12.92	5.230
87.	महाराजपुर	10	10.97	4.441
88.	मगरवाड़ा	1	1.00	0.404
89.	घोंठा	6	9.46	3.829
योग		5357	8329.05	3372.085

विकासखण्ड-सहसपुर लोहारा

क.	ग्राम	कृषक संख्या	रकबा (एकड़ में)	रकबा (हेक्टर में)
1.	नवागाव (गु.)	1	3.00	1.214
2.	गिरिन्दनगर	2	7.90	3.198
3.	चंदेनी	10	34.89	14.125
4.	कोडिया	1	4.89	1.979
5.	खैरझिटी	4	5.89	2.384
6.	सेनरिया	5	8.64	3.497
7.	राजपुर	1	1.20	0.485
8.	रणवीरपुर	1	4.95	2.004
9.	चित्तमखोदरा	9	27.18	11.004
10.	बुधवार	3	6.00	2.429
11.	अचानकपुर	2	2.00	0.809
12.	वजार वारभाटा	2	1.92	0.777
13.	गोछिया	1	1.40	0.567
14.	मोहतारा	1	4.00	1.619
15.	उलट	1	1.00	0.404
16.	कारेसरा	1	1.50	0.607
17.	गागीचहरा	1	2.00	0.809
18.	बाजगुदा	2	7.00	2.834
19.	देहानडीह	2	4.00	1.619
20.	बडोदाकला	2	1.60	0.647
21.	बधी	1	1.92	0.777
योग		53	132.88	53.797

पेराई सत्र 2019-20 हेतु भोरगदेव सहकारी शक्कर कारखाना मूल्या.

कर्मार्थ के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध अंशधारी सदस्यों के

गन्ना क्षेत्र का विवरण

विकासखण्ड - कर्मार्थ/बोयलस/सहलोहारा

क.	वि.खण्ड	ग्रामों की संख्या	कृषक संख्या	रकबा (एकड़ में)	रकबा (हे.)
1.	कर्मार्थ	156	6386	9723.07	3936.465
2.	बोयलस	83	5357	9329.05	3372.035
3.	सहलोहारा	21	53	132.88	53.797
योग		266	11796	19185	7362.347

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd November 2019

No. 1344/Confdl./2019/II-3-1/2019.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, now, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Harendra Singh Nag	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Durg.	II Civil Judge Class-I, Durg
2.	Shri Diamond Kumar Gilhare	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Durg.	IV Civil Judge Class-I, Durg
3.	Smt. Archana Bhaskar	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Durg.	V Civil Judge Class-I, Durg
4.	Ms. Seema Pratap Chandra	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Korba.	III Civil Judge Class-I, Korba

Bilaspur, the 22nd November 2019

No. 1346/Confdl./2019/II-3-1/2019.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, now, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Parth Tiwari	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Balod.	I Civil Judge Class-II, Balod
2.	Ku. Ankita Madanlal Gupta	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar.	Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar.
3.	Ku. Shweta Goswami	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Dhamtari.	I Civil Judge Class-II, Dhamtari.
4.	Shri Rahul Kumar	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Dhamtari.	II Civil Judge Class-II, Dhamtari.
5.	Shri Anup Tigga	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.	II Civil Judge Class-II, Durg

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Shri Sachin Paul Toppo	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.	VIII Civil Judge Class-II, Durg.
7.	Ku. Sheetal Nikunj	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.	XII Civil Judge Class-II, Durg.
8.	Ku. Kiran Panna	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Janjgir.	I Civil Judge Class-II, Janjgir.
9.	Shri Vaibhav Ghritlahre	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Jashpur.	Civil Judge Class-II, Jashpur
10.	Ku. Akansha Beck	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.	IV Civil Judge Class-II, Raigarh.
11.	Ku. Chetna Thakur	VI Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.	XIII Civil Judge Class-II, Raipur.
12.	Shri Krishna Murari Sharma	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.	XIV Civil Judge Class-II, Raipur.
13.	Ku. Sanjulata Dewangan	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.	XVII Civil Judge Class-II, Raipur.
14.	Shri Anshul Minz	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.	XVIII Civil Judge Class-II, Raipur.
15.	Shri Virendra Singh	V Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur	XIX Civil Judge Class-II, Raipur.
16.	Smt. Neha Yati Mishra	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.
17.	Shri Alok Pandey	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.	I Civil Judge Class-II, Surajpur.
18.	Shri Umesh Kumar Bhagwatkar	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.	II Civil Judge Class-II, Surajpur.
19.	Ku. Aditi Thakur	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.	I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
20.	Smt. Smita Shrivastava Sinha	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.	II Civil Judge Class-II, Ambikapur.
21.	Shri Nilesh Jagdalla	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.	III Civil Judge Class-II, Ambikapur.

By Order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.